

अनुदान संख्या 63 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
GRANT No. 63 - DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	77221,80,00		
		77221,83,00	76824,17,95	-397,65,05
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			397,64,07

पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1,20,00		
		2,60,00	2,57,42	-2,58
पूरक	Supplementary	1,40,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,58

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"			
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	6415574.00		
पू.	S.	2.00	7106217.41	7106217.25
पु.	R.	690641.41		-0.16

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	761590.00			
		
पु.	R.	-761590.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	516936.00	549142.41	549142.41	..
पु.	R.	32206.41			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	25100.00			
पु.	R.	-967.50	24132.50	24132.50	..

(I) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत छह मामलों में ₹761590.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा:-

(का) "जलापूर्ति - ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - जल जीवन मिशन" - ₹457870.00 लाख;

(खा) "सीवरेज और स्वच्छता: स्वच्छता सेवाएँ - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" - ₹37940.00 लाख,

(I) Provision of ₹761590.00 lakhs remained wholly unutilized in six cases under the Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Water Supply- Rural Water Supply Programme - Jal Jeevan Mission" - ₹457870.00 lakhs;

(B) "Sewerage and Sanitation: Sanitation Services - Swachh Bharat Mission (Grameen)" - ₹37940.00 lakhs,

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(क) “अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना” – ₹4020.00 लाख;

(ख) “जलापूर्ति – ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम” – ₹44240.00 लाख;

(घा) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम” – ₹19630.00 लाख; तथा

(ख) “जलापूर्ति – ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम” – ₹197890.00 लाख;

पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

(II) मुख्य शीर्ष “2215” – “सीवरेज और स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” के अंतर्गत – ₹8590.94 लाख की बचत (₹115574.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से अनुसंधान प्रस्तावों की कम प्राप्ति और क्षमता निर्माण आयोग तथा विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” के अंतर्गत – ₹967.50 लाख की बचत (₹19100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचत का आंशिक रूप से (₹699232.35 लाख) उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया, जैसा कि पहले ही संसद को सूचित किया गया था,

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Scheme for the Development of Scheduled Castes” - ₹4020.00 lakhs;

(b) “Water Supply - Rural Water Supply Programme” - ₹44240.00 lakhs;

(D) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Programme for Development of Scheduled Tribe” - ₹19630.00 lakhs; and

(b) “Water Supply - Rural Water Supply Programme” - ₹197890.00 lakhs;

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2215” - “Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - saving of ₹8590.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115574.00 lakhs) was due to less receipt of research proposals from States and requirement of less funds by Capacity building Commission and UTs without legislature.

(III) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - saving of ₹967.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19100.00 lakhs) was due to requirement of less funds by UT.

2.(I) The above savings were partly (₹699232.35 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament

जबकि मुख्य शीर्ष “2215” – “जलापूर्ति” के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गया:—

(का) “ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम – जल जीवन मिशन” – ₹457102.61 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹457102.45 लाख थी।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – जल जीवन मिशन” – ₹44240.00 लाख।

(गा) “जनजातिक्षेत्र उपयोजना – जल जीवन मिशन” – ₹197889.74 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं” के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:—

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” – ₹26561.22 लाख का अधिक व्यय (₹349506.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” – ₹6016.10 लाख का अधिक व्यय (₹38060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the Major Head “2215” - “Water Supply” - under the following heads:-

(A) “Rural Water Supply Programme - Jal Jeevan Mission” - ₹457102.61 lakhs. Actual excess, however, was ₹457102.45 lakhs.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Jal Jeevan Mission” - ₹44240.00 lakhs.

(C) “Tribal Area Sub Plan - Jal Jeevan Mission” - ₹197889.74 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - under following heads:-

(A) “Central Assitance/Share - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - excess of ₹26561.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹349506.00 lakhs); and

(B) “Tribal Area Sub Plan - Swachh Bharat Mission (Grameen)” - excess of ₹6016.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38060.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.